

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक-2493 / अलीगढ़ / 15639 / 2015, दिनांक, लखनऊ, जून 05 2017

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय : अलीगढ़-मथुरा मार्ग (एस0एच0-80) किमी0 चैनेज 3.920 की दायी पट्टी पर ग्राम-दौलताबाद के खसरा स0-13 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल ऑइडलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.04085 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातंग के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ : भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यूपी/06/49/2016/एफसी/26, दि0 02.06.16
शासन का पत्रांक-भा0स0-132/14-2-2016-800(29)/2016, दिनांक 13.06.16

संदर्भ

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रकरण में भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा इंगित सूचनाओं एवं अभिलेखों को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव उ0प्र0शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा निर्देश दिये गये थे।

उक्त के क्रम में वन संरक्षक, अलीगढ़ के पत्रांक-3329/14-1, दि0 31.05.2017 द्वारा भारत सरकार द्वारा इंगित सूचनाओं का बिन्दुवार निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। अतः वन संरक्षक, अलीगढ़ के उक्त पत्र एवं संशोधित प्रस्ताव की दो प्रतियाँ एतत्सह सलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही हैं कि प्रकरण में स्वीकृति निर्गत कराने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

सलग्नक: उपरोक्तानुसार सी0डी0 सहित।

भवदीय,

(वाई0एस0के0शेखरकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक-2493 / उक्त दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।
- 3- डिवीजमल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0, ए-5, से0-3, नोएडा।

(वाई0एस0के0शेखरकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।